

गोपनीय

पूर्वोत्तर रेलवे

सं०:2021/मेड/सतर्कता/निस्तारण

कार्यालय
प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
गोरखपुर, दिनांक 01.07.2022

चिकित्सा निदेशक/ल०न०मि०रे०चि/गोरखपुर ।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/इज्जतनगर, वाराणसी लखनऊ ।

विषय : अनुबंधित चिकित्सालयों में रेफर किये जा रहे रेलवे पेशेंट्स के बिलों की जाँच के सम्बन्ध में ।
संदर्भ : उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार, गोरखपुर का पत्र संख्या:V/9/2022/03/02036/PC
दिनांक 01.07.2022

संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है, कृपया संदर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-यथोपरि


01.07.2022
(डा० डी०के०सिंह)

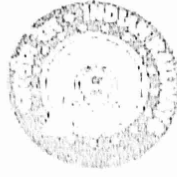
अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक/टी०ए०
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

प्रतिलिपि – उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार, गोरखपुर को उनके संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ ।

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Confidential

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
गोरखपुर-273012



Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur- 273012

No.V9/2022/03/02036/PC

Dated-01.07.2022

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

विषय :- अनुबंधित चिकित्सालयों में रेफर किये गए जा रहे रेलवे पेशेंट्स के बिलों की जाँच के सम्बन्ध में।

एक सतर्कता जाँच के अनुक्रम में अनुबंधित चिकित्सालय यशोदा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गाज़ियाबाद में रेफर हुए पेशेंट के बिलों की जाँच करने पर पाया गया है कि श्रीमती सवरीन, जिनकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हेतु उन्हें दिनांक 27.12.2021 से 04.01.2022 तक उक्त अनुबंधित हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उनके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से सम्बंधित जरूरी इन्वेस्टीगेशंस एवं संबंधित मेडिसिन्स के मूल्य को सर्जरी के पैकेज दर में शामिल नहीं किया गया था, श्री मुन्ना लाल जिनको दिनांक 05.12.2021 से 10.12.2021 तक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तथा 06 दिनों में मात्र Cystoscopy + DJ stent Removal की प्रक्रिया की गयी थी। साथ ही पाया गया कि अनुबंधित चिकित्सालयों के बिलों की प्राथमिक स्तर (क्लर्क/कार्याधी) के स्तर पर गहनता से जाँच नहीं की जा रही है तथा ज्यादातर अनियमित बिलों की कटौती चिकित्साधिकारी स्तर पर ही की जा रही है, जिस कारण अनुबंधित चिकित्सालय को कुछ बिलों में अतिरिक्त पेमेंट किया जाना पाया गया है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि :-

यदि किसी सर्जरी (माइनर/मेजर) के पैकेज दर को बिल में शामिल किया गया है, तो उससे संबंधित Medicines and Consumables एवं Related routine and Essential investigations, जो कि प्रायः सर्जरी से एक या दो दिन पूर्व किये जाते हैं, उन्हें भी इस सर्जरी पैकेज दर में शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही अनुबंधित चिकित्सालय के बिलों की जाँच में 'पेशेंट्स के भर्ती दिनों' को भी बिलों की जाँच करने वाले रेलवे चिकित्साधिकारी द्वारा 'डेज जस्टीफ़ाइड/डेज नॉट जस्टीफ़ाइड' मार्क किया जाए एवं अनुबंधित चिकित्सालयों के बिलों की जाँच में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए प्राथमिक स्तर पर बिलों की जाँच करने वाले कार्याधी/क्लर्क द्वारा बिलों की गहनता से जाँच सुनिश्चित की जाये। कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराएं। इस पर वउमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

वे भव
11/7/22
(वैभव श्रीवास्तव)

उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता